

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "टैरिफ ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "टैरिफ ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. पिछले तीन दशकों में देखे गए भारी विकास और व्यापक परिवर्तन के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र गतिशील है। विभिन्न परिचालनिक पहलुओं यथा टैरिफ की प्रकृति और संरचना, टैरिफ में परिवर्तन की आवृत्ति, संचार के पसंदीदा तरीके और आधुनिक युग के संचार में महत्वपूर्ण बदलाव के संदर्भ में, तेजी से बदलते परिदृश्य में गतिशीलता का उदाहरण मिलता है। आमतौर पर, बाज़ार में, उपभोक्ता को जानकारी की कमी, भ्रामक जानकारी, अस्पष्ट या कठिन जानकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो जानकारी का आकलन करने और तुलना करने में मुश्किल होती है, और जो सूचित विकल्प बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के बीच उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, टैरिफ यानी "सेवा के प्रावधान के लिए दर और संबंधित शर्तों" से संबंधित सूचनाओं के पूर्ण समूह को पारदर्शी ढंग से साझा करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण के मूल में माल या सेवा के प्रावधान की शर्तों के संचार में पारदर्शिता का पहलू निहित है।
3. इसके अलावा, भादूविप्रा को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो अलग-अलग प्रकार की हैं और निश्चित रूप से टैरिफ सूचना के प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अभाव में निहित हो सकती है।
4. इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उपभोक्ताओं तक सूचना के प्रवाह से संबंधित पारदर्शिता के लिए मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की जाए। तदनुसार, यह परामर्श पत्र उपभोक्ताओं को सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए प्रतिकूल विकल्पों के उदाहरणों को समाप्त करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। वर्तमान परामर्श पत्र का दायरा सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों के लिए टैरिफ प्रस्तावों के संचार में पारदर्शिता की आवश्यकताओं की समीक्षा तक सीमित है।
5. परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 26 दिसंबर 2019 तक आमंत्रित की गई हैं। प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो, 9 जनवरी 2020 तक प्रस्तुत की जा सकती है। टिप्पणी और प्रति-टिप्पणी, यदि कोई हो, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल: advfeal@traai.gov.in पर भेजी जा सकती है। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.traai.gov.in पर अपलोड की जाएंगी।
6. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण) से टेलीफोन नंबर: +91-11-23230752/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।
7. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.traai.gov.in पर उपलब्ध है

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।